न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी — जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 353/2017 राजस्व वाद

01. गुलाब आत्मज श्री मांगू सरगरा आयु वयस्क निवासी—मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. श्रीमती तारा आत्मजा श्री मांगू जी सरगरा आयु वयस्क निवासी— मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादीगण

बनाम

01. श्री मांगू पुत्र श्री रूपा सरगरा आयु वयस्क निवासी— मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. श्री श्याम लाल आत्मज श्री मांगी लाल सरगरा आयु वयस्क निवासी— मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

03. श्री महावीर आत्मज श्री नन्द लाल धोबी आयु वयस्क निवासी— करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

05. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा— 88,89,92—क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—

1. श्री राकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादीगण
2. एकपक्षीय ——प्रतिवादी संख्या 01 से 03
3. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक—11.08.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 88, 89,92—क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के परिवार का पारीवारिक सजरा वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित है। उक्त वर्णित राजरे अनुसार रूप जी मूल पुरुष हैं एवं वादीगण रूपा जी के पोत्र—पोत्री है तथा प्रतिवादी संख्या—1 एक रूपा जी का पुत्र है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या—1 एक हिन्दू संयुक्त अविभक्त परिवार के सदस्य है। ग्राम मालास तहसील माण्डल हाल तहसील करेड़ा जिला—भीलवाडा में रूपा जी सरगरा के खातेदारी अधिकार—आधिपत्य की संवत 2034 से 2037 की जमावन्दी में आराजी नम्बर 586 रकबा 14 बिस्स्वा, आराजी नम्बर 587 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 588 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 589 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 590 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 591 रकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर 592 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 593 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 594 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 598 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 599 रकबा 08 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा स्थित है। रूपा जी के देहान्त के पश्चात उक्त आराजियात विरासत से उनके वारिसान वालु, भैरू, रामचन्द्र, मांगु, करतूर के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई, जिसमें प्रत्येक का 1/5 एक बटा पांच—1/5 एक बटा पांच हक—हिस्सा दर्ज किया गया, जिस हेतु जमाबंदी संवत 2034 दो हजार चौतीस से 2037 दो हजार सैंतीस की जमावंदी हमराह वादपत्र प्रस्तुत है। उक्त वर्णित आराजियात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात से सम्बन्धित किया जावेगा। वादपत्र की धारा संख्या—2 दो में वर्णित आराजियात वादीगण के पितामह रूपा जी के समय की होकर वादीगण की मौरूसी मुस्तरकात (पुश्तैनी) आराजियात है, जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक हिस्सा निहित हो गया है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मौरूसी मुस्तरकाल (पुश्तैनी) सम्पदा में पुत्र–पुत्रीयों को जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त होते हैं। उक्त आराजियात हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभक्त सम्पदा है एवं वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या– एक हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य होकर कोपार्सनर्स है एवं वादीगण प्रथम श्रेणी के वारिसान है जिससे वादीगण का भी प्रतिवादी संख्या–1 एक के साथ–साथ उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभक्त सम्पदा में जन्म से हक हिस्सा निहित है एवं वादीगण का उनके हया–हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर शामिल में ही कब्जा काश्त आज पर्यन्त निरन्तर चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त आराजियात राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या– एक के नाम पर ही दर्ज हो जाने से प्रतिवादी संख्या–1 एक, रूपा जी की विरासत से आने वाली आराजियात का तन्हा स्वामी व खातेदार काश्तकार कानूनन नही हो जाते हैं बल्कि रूपा जी की विरासत से प्रतिवादी संख्या–1 एक के नाम दर्ज होने वाली आराजियात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक कोपार्सनर्स होकर सहखातेदार काश्तकार है एवं कब्जा व दखल भी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1 एक का ही हो सभी खातेदारान आपसी सहमति व स्वीकृति से शांतिपूर्वक तरीके से शामिल में ही काश्त आदि कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त वादग्रस्त आराजियात में वादीगण प्रत्येक का 1/15 एक बटा पन्द्रह –1/15 एक बटा पन्द्रह हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या–1 एक का 1/15 एक बटा पन्द्रह हक हिस्सा है तथा इसी हक हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 एक शामिल में ही काबिज हो उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं अर्थात उक्त वादग्रस्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 एक की शामलाती होकर अविभक्त दशा में चली आ रही है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या–1 एक मागू का 1/5 एक बटा पाच हक हिस्सा गलत तरीके से राजस्व रेकॉर्ड में अभिलिखित हो जाने का नाजायज लाभ उठाने के दुराशय से प्रतिवादी संख्या–2 दो से सांठगांठ कर वादग्रस्त आराजियात अविभक्त होते हुए भी उक्त वादग्रस्त आराजियात में से अपने 1/5 एक बटा पांच हिस्से में से जो कि कानूनन नहीं बनता है। आराजी नम्बर–589 पाच सौ नेवासी को छोडकर वादपत्र की धारा संख्या–2 दो में वर्णित कुल भूमि में से 30/276 वां तीस बटा दो सो छत्तरवा हिस्सा प्रतिवादी संख्या–2 श्यामलाल आत्मज गागीलाल सरगरा को 50,000/–पचास हजार रूपये का गलत प्रतिफल लेना बताकर दिनाक 21/07/2011 इक्कीस जुलाई दो हजार ग्यारह को तथाकथित विक्रयपत्र के माध्यम से विक्रय कर दी एव प्रतिवादी संख्या–2 दो ने उक्त 30/276वां तीस बटा दो सो छत्तरवा हिस्सा प्रतिवादी संख्या–3 तीन महावीर पुत्र नन्दलाल धोबी को 1,00,000/– एक लाख रूपये का प्रतिफल लेना बताकर दिनाक 17/10/2012 सत्तराह अक्टूवर दो हजार बारह को तथाकथित विक्रयपत्र के माध्यम से विक्रय कर दी। तथाकथित विक्रयपत्रो से प्रतिवादी संख्या–2 दो व 3 तीन को उक्त वादग्रस्त आराजियात में कोई हक–अधिकार प्राप्त नही होते है एवं न हुये है तथाकथित विक्रयपत्र वादीगण के मुकाबले प्रारम्भ से ही शून्य, अवैध, अप्रभावी, बेअसर है, क्योंकि (अ)– कि उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या–1 एक का 1/5 एक बटा पांच हक व हिस्सा ही नही है तथा न कानूनन बनता है, बल्कि प्रतिवादी संख्या–1 एक का उक्त वादग्रस्त आराजियात मे 1/15 एक बटा पन्द्रह हक व हिस्सा ही बनता है. तो प्रतिवादी संख्या–1 एक द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक भूमि का विकाव कानूनन नहीं किया जा सकता है. जिससे उक्त विकाव कानूनन नही किया जा सकता, जिससे उक्त विकाव विधि संगत नहीं है एव प्रारम्भ से ही नल एण्ड वोईड है। (ब)– कि जब उक्त वादग्रस्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 एक की शामलाती हो, अविभक्त है, ऐसी हालत में बिना विभाजन कराये किया गया विकाव सर्वथा गलत होकर अवैध है। (स)– कि प्रतिवादी संख्या–1 एक को किसी प्रकार की रकम की आवश्यकता नहीं थी। प्रतिवादी संख्या–1 एक ने स्व. रूपा जी के हक हिस्से की उक्त वादग्रस्त भूमि उनके नाम पर दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर वादीगण का हिस्सा हडपने की नियत से उक्त विक्रयपत्र निष्पादित व पंजीकृत कराया है, उक्त वादग्रस्त आराजियात की मार्केट वेल्यू भी विक्रयपत्रों में अंकित राशि से कहीं अधिक है। प्रतिवादी संख्या–1 एक द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 दो के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या–2 दो द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 तीन के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र विधि विरूद्ध है। प्रतिवादी संख्या–2 दो व 3 तीन का उक्त वादग्रस्त आराजियात पर कभी भी कोई कब्जा नही रहा है, न है। (द)– कि उक्त तथाकथित विक्रयपर बिना प्रतिफल के होकर नुमाईशी है। प्रतिवादी संख्या–3 तीन वादीगण द्वारा अपने हक व हिस्से में किये जा रहे उपयोग–उपभोग में दिनांक 16/08/2013 सोलह अगस्त दो हजार तेरह को जबरन हस्तक्षेप करने लगा एवं कब्जा छोडने हेतु कहा इस पर वादीगण ने उनसे ऐसा घृणित कार्य क्यों कर रहे हो के बाबत् कहा तो उन्होंने वादग्रस्त आराजियात खरीदना बताया, इस पर वादीगण ने राजस्व रेकॉर्ड की जानकारी की तो उपरोक्त समस्त तथ्यों की जानकारी हुई, तब वादीगण ने प्रतिवादीगण को ऐसा क्योंकर किया के बाबत कहा तथा तथाकथित विक्रयपत्रों पर भी शून्य व अप्रभावी होने का नोट अंकित करा असल विक्रयपत्र वादीगण को सिपुर्द करने हेतु

उपखण्ड अधिकारी पटेल
सहायक कलक्टर करेड

कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण, वादीगण को उक्त वादग्रस्त आराजियात का सहखातेदार काश्तकार होना भी नहीं मानते हैं, जिससे वादीगण के खातेदारी हक अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, इस कारण यह घोषित किया जाना आवश्यक है कि वादीगण वादपत्र की धारा संख्या–2 दो में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में सहखातेदार काश्तकार है, जिसमें प्रत्येक वादीगण का 1/15 एक बटा पन्द्रह–1/15 एक बटा पन्द्रह हक हिस्सा है एवं इन्द्राज दुरूस्ती द्वारा इसी हक हिस्से अनुसार वादीगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या–1 एक द्वारा प्रतिवादी संख्या–2 प्रतिवादी संख्या–2 दो द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 तीन के पक्ष में निष्पादित तथाकथित विक्रयपत्र दिनांकित 21/07/2011 इक्कीस जुलाई दो हजार ग्यारह एवं 17/10/2012 सत्रराह अक्टूबर दो हजार बारह से वादीगण के हकों व अधिकारों पर विपरित असर पड़ता है, इस कारण उक्त तथाकथित विक्रयपत्रों को भी वादीगण के मुकाबले निष्प्रभावी, शून्य व बेअसर घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का अपने हक हिस्से की भूमि पर आज पर्यन्त निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है, किन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या–1 एक के नाम पर दर्ज होने से उन्होंने कुछ भूमि विधि विरुद्ध अन्तरित कर दी एवं शेष भूमि को भी अन्तरित करने पर आमादा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 तीन के नाम पर उक्त तथाकथित निकावशुदा भूमि का इन्तकाल खुल गया है, जिससे प्रतिवादी संख्या 3 तीन उक्त वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द अन्तरित एवं भारित करने पर आमादा है तथा वादीगण को उनके हक हिस्से की आराजियात से बेदखल करने पर आमादा है, जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पावन्द किया जाना आवश्यक है कि वे वादपत्र की धारा संख्या–2 दो में वर्णित आराजियात को पूर्ण च आंशिक रूप से किसी भी प्रकार से किसी को भी खुर्द–बुर्द, अन्तरित व भारित नही करे एवं इस भूमि में हम वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न करे वन करावे एवं इस भूमि से हम वादीगण को बेदखल नहीं करें एवं प्रतिवादी संख्या–5 को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराया जावे कि अगर प्रतिवादी संख्या–1 एक व 3 तीन उक्त वादग्रस्त भूमि के अन्तरण का कोई दस्तावेज पंजीयन बावत उनके समक्ष प्रस्तुत करे तो वे उसका पंजीयन नहीं करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश की गयी, वादीगण द्वारा प्रकरण मे दस्तावेजात पेश किये, जिन्हे प्रदर्शित किया गया।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वादग्रस्त आराजियात जो कि वादीगण के पितामह रूपा जी के जमाने की होने व वादीगण की पुश्तैनी होने से जन्म से हक अधिकार होते हुए भी वादीगण का नाम दर्ज नही व वादीगण का हक हिस्सा कागजी तौर पर प्रतिवादी संख्या 01 के नाम पर दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक का प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष मे निष्पादित विकग्रपत्र दिनांक 21/07/2011 व प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संया 03 के पक्ष मे निष्पादित किव्रयपत्र दिनांक 17/10/2012 वादीगण के हक हिस्से के मुकाबले अवैध व शून्य घोषित कराया जाकर वादीगण को 2/15 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्य का अवलोकन किया गया, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार उक्त आराजियात वादीगण के पूर्वज रूपा जी की होकर वादपत्र मे वर्णित पारीवारिक सजरे अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अनुसार वादीगण जो कि प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र, पुत्री होकर वादीगण का 2/5 हक हिस्सा होते हुए भी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष मे दिनांक 21/07/2011 व प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 के पक्ष मे दिनाक 17/10/2012 को विकय पत्र पंजीयन कराया है, जो वादीगण के हक हिस्से के मुकाबले अवैध, शून्य, निष्प्रभावी है व वादीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपना 1/15 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाने व खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य योग्य ठहरता है। अत एव

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर लाडनू

:: आदेश ::

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद मालारा पटवार हल्का लादुवारा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 586 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 587 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 588 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 589 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 590 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 591 रकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर 592 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 593 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 594 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 598 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 599 रकबा 08 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा मे से आराजी नम्बर 589 को छोडकर शेष आराजियात का प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष मे दिनांक 11/07/2011 व प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 30 के पक्ष मे दिनांक 17/10/2012 को निष्पादित विक्रयपत्र वादीगण के 2/15 हक हिस्से की हद तक अवैध, शून्य, निष्प्रभावी घोषित कराया जाकर वादीगण को उक्त आराजी नम्बर 586 रकबा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 587 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 588 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 589 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 590 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 591 रकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर 592 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 593 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 594 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 598 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 599 रकबा 08 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के साथ 2/15 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को ताहशीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिक्री जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 353/2025 राजस्व वाद

01. गुलाब आत्मज श्री मांगू जी सरगरा आयु वयस्क निवासी– मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. श्रीमती तारा आत्मजा श्री मांगू जी सरगरा आयु वयस्क निवासी– मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– वादीगण

बनाम

01. श्री मांगू पुत्र श्री रूपा जी सरगरा आयु वयस्क निवासी– मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. श्री श्याम लाल आत्मज श्री मांगी लाल जी सरगरा आयु वयस्क निवासी– मालास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. श्री महावीर आत्मज श्री नन्द लाल धोबी आयु वयस्क निवासी– करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घौषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

———

वादीया की ओर से श्री राकेश कुमार जैन, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 11.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि नील को दी जायें।

वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर सरहद मालास पटवार हल्का लादुवास तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 586 रकबा 14 बिस्स्वा, आराजी नम्बर 587 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 588 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 589 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 590 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 591 रकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर 592 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 593 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 594 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 598 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 599 रकबा 08 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा मे से आराजी नम्बर 589 को छोडकर शेष आराजियात का प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष मे दिंनाक 21/07/2011 व प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादी संख्या 30 के पक्ष मे दिंनाक 17/10/2012 को निष्पादित विकयपत्र वादीगण के 2/15 हक हिस्से की हद तक अवैध, शून्य, निष्प्रभावी घौषित कराया जाकर वादीगण को उक्त आराजी नम्बर 586 रकबा 14 बिस्स्वा, आराजी नम्बर 587 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 588 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 589 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 590 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 591 रकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर 592 रकबा 13 बिस्वा, आराजी नम्बर 593 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 594 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 598 रकबा 02 बीघा 04 बि

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर

आराजी नम्बर 599 रकबा 08 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 14 बीघा 01 बिस्वा मे प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के साथ 2/15 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेडा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)